

अनुदान संख्या 46 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 46-MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1,15,68,00		
पूरक	Supplementary	1,00		
		1,15,69,00	85,60,92	-30,08,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			28,55,83

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचते/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	1386.00		
पु.	R.	-550.00		
			836.00	769.03
				-66.97
मुख्य शीर्ष "2405"	Major Head "2405"			
मछली पालन	Fisheries			
मू.	O.	3400.00		
पु.	R.	-2218.00		
			1182.00	1182.00
				. .
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"			
खाद्य, भंडारण एवं भांडागार	Food, Storage and Warehousing			
मू.	O.	5682.00		
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	1012.17		
			6695.17	6609.89
				-85.28

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas
मू.	O. 1100.00
पु.	R. -1100.00

(I) 1100.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552"- "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" के अंतर्गत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को कार्यात्मक शीर्षों से पूरा करने के लिए निधियों का आंशिक पुनर्विन्धोग किए जाने और निधियां जारी करने के लिए कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से शेष निधियों का अभ्यर्पण किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "सचिवालय"- "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय"- 280.96 लाख रु. की बचत (866.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, खरीद प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा सादगी के उपायों को अपनाए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय - फल और सब्जी प्रसंस्करण निदेशालय का सुदृढीकरण"- 336.01 लाख रु. की बचत (520.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियां जारी किए जाने के लिए कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2405" - "समुद्री मछली पालन - गहरे समुद्र में मछली पकड़ना" के अंतर्गत 2218.00 लाख रु. की बचत (3400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पश्चात निर्णय लिए जाने के कारण भी हुई।

(I) Provision of Rs.1100.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" - "Other Expenditure-Provision for Projects/Schemes for North Eastern States including Sikkim" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for incurring expenditure on Projects/Schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim and surrender of remaining funds owing to less receipt of viable proposals for release of funds.

(II) Under Major Head "3451" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat - "Ministry of Food Processing Industries" - saving of Rs.280.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.866.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of purchase proposals and austerity measures.

(B) "Other Expenditure - Strengthening of Directorate of Fruit and Vegetable Processing" - saving of Rs.336.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.520.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals for release of funds.

(III) Under Major Head "2405" - "Marine Fisheries - Deep Sea Fishing Operations" - saving of Rs.2218.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3400.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals and also on account of post budget decision taken by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - दुग्ध आधारित उद्योग" के अंतर्गत 300.30 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय में बजट पर चर्चा के दौरान लिए गए निर्णय की वजह से कम निधियां प्राप्त होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1312.17 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - बागवानी आधारित उद्योग" के अंतर्गत मार्च, 2005 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1232.91 लाख रु. था।

(IV) Under Major Head "2408" - "Food - Food Processing - Milk Based Industries" - saving of Rs.300.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to receipt of less funds owing to decision taken during discussion on budget in Ministry of Finance.

2. The above savings were partly (Rs.1312.17 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2005 under Major Head "2408" - "Food - Food Processing - Horticulture Based Industries". Actual excess, however, was Rs.1232.91 lakhs.